मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 366 /2002/सी/चार भोपाल दिनांक 11 मार्च 2002

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
मध्यप्रदेश.

विषय:- भण्डार क्रय नियमों के नियम 14 के अंतर्गत मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से खरीदी करने के संबंध में।

मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियमों के नियम 14 के अंतर्गत आरक्षित सूची में शामिल वस्तुओं की खरीदी सभी शासकीय विभागों को मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से करना अनिवार्य है । आरक्षित वस्तुओं की खरीदी शासकीय विभागों द्वारा मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के अलावा अन्य स्त्रोतों से तभी की जा सकती है, जब मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा विभागों को अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

2. शासन के ध्यान में यह लाया गया है कि कतिपय शासकीय विभाग आरक्षित वस्तुओं की खरीदी निगम के अनुपलब्धता प्रमाण पत्र लिये बिना ही कर रहे हैं जो कि भण्डार क्रय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

3. भण्डार क्रय नियमों के पैरा 51, जिसका उद्धरण नीचे दिया गया है, में स्पष्ट प्रावधान है कि कोषालयों को भेजे जाने वाले बिलों में क्रयकर्ता विभागों के अधिकारियों को नियम 14 परिपालन के संबंध में प्रमाण पत्र देना होता है:-

"The purchasing Authority while sending the bills to treasury shall record a certificate on it to the effect that provisions of Rule 14 have been fully complied with".

4. अतः भण्डार क्रय नियमों के कड़ाई से पालन हेतु सभी विभाग अपने अधीनस्थों को निर्देश प्रसारित करें कि वे बिलों में उपरोक्तानुसार प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अशोक दास)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 367 /2001/सी/चार भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2002

प्रतिलिपि:-

आयुक्त कोष एवं लेखा की ओर अग्रेषित कर लेख है कि कोषालय अधिकारियों को यह निर्देश जारी करें कि विभागों द्वारा बिलों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि विभागों द्वारा उपरोक्तानुसार बिलों में प्रमाण पत्र दिया गया है कि उनके द्वारा भण्डार क्रय नियमों का पालन किया गया है।

अवरसचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग